पत्र सं0-स्था0-6-सामान्य निर्देश (132) भाग-3/2021-22/ 119 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: 09 अप्रैल, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्राय: यह देखा जा रहा है कि विभाग के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त भी उनको सेवानैवृत्तिक लाभ यथासमय प्रदान नही किये जा रहे हैं, जिनके कारण सम्बन्धित कर्मचारी अथवा उनके आश्रितों द्वारा अनावश्यक रुप से पत्र मुख्यालय उपलब्ध कराये जाते है, जबकि उक्त कार्यवाही आपके जोन स्तर से किया जाना अपेक्षित होता है।

अत: निर्देशित किया जाता है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के 06 माह पूर्व ही उनके अभिलेखों का यथावश्यक परीक्षण करा लिया जाए। यदि उनके सेवाभिलेखों में कोई कमी हो तो उसे सम्बन्धित कार्मिक के सेवानिवृत्ति के पूर्व ही नियमानुसार निराकरण करा लिया जाए। ताकि कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक लाभ यथासमय दिये जा सकें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8/4/2021
(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित:-

1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, कमिश्नर(कैम्प) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें।
3- ज्वांइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना अराजपत्रित/आई0टी0/संग्रह)वाणिज्य कर, मुख्यालय / जवाहर भवन, लखनऊ।

08/04/2021
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
प्रभार-एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।